प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। इस प्रतिवेदन में राज्य के बिक्री, व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, स्टांप शुल्क, मोटर वाहन कर, यात्री व माल कर, तथा अन्य कर व अ-कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत हैं।

3. इस प्रतिवेदन में वर्ष 2012-13 के दौरान लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामले तथा विगत वर्षों में दृष्टिगोचर हुए परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में उन पर आवश्यक कार्रवाई न किए जाने वाले मामले उल्लिखित हैं; जहां आवश्यक था, 2012-13 से तदनंतर अवधि से सम्बंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

4. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।